सप्तदश बिहार विधान सभा

नवम सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या–04 वृहस्पतिवार, दिनांक–13 जुलाई, 2023 ई०।

माननीय अध्यक्ष श्री अवध विहारी चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई।

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न से 12:43 बजे अपराह्न तक।

सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोरगुल करते हुए वेल में आ गए।

आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने तथा सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने का अनुरोध किया गया जिसके उपरान्त सदन में शान्ति कायम हुई।

तत्पश्चात आसन की अनुमति से माननीय नेता विरोधी दल ने अपने विषय को रखा।

[1] प्रश्नकाल :–

(i) 03 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित।
(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अपृष्ठ।
(iii) 04 अल्पसूचित प्रश्न अनागत।
(iv) 07 तारांकित प्रश्न उत्तरित।
(v) 03 तारांकित प्रश्न अपृष्ठ।
(vi) 01 तारांकित प्रश्न संख्या–300 ग्रामीण विकास विभाग मे स्थानान्तरित।
(vii) 118 तारांकित प्रश्न अनागत।

अल्पसूचित प्रश्नों के निस्तारण के क्रम में विपक्ष के माननीय सदस्यगण पुनः वेल में आकर शोरगुल एवं नारेबाजी करने लगे। इस दौरान माननीय सदस्य, श्री जिवेश कुमार एवं श्री कुमार शैलेन्द द्वारा किये गये असंसदीय और अशोभनीय आचरण के लिए उन्हें सदन से मार्शल आउट करने का निदेश आसन द्वारा दिया गया।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि विपक्ष के माननीय सदस्यगण इस सदन का अपमान कर रहे हैं। आसन उनपर उचित निर्णय लेने में सक्षम है। सरकार भी चाहती है कि सदन व्यवस्थित रूप से चले और इसके लिए आसन उचित कदम उठाये।

आसन द्वारा कहा गया कि अगर कोई माननीय सदस्य कुर्सी उठायेंगे, कागज को फाड़ेंगे, असंसदीय शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आसन अपने स्तर से कार्रवाई करेगा। साथ ही आसन द्वारा विपक्ष के माननीय सदस्यों से अपने–अपने स्थान पर बैठ जाने का अनुरोध किया गया। किन्तु सदन में शान्ति कायम नही हो

सकी जिसके उपरान्त आसन द्वारा मार्शल को वेल में आये माननीय सदस्यों को बाहर करने का निदेश दिया गया। तदुपरान्त विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये।

तत्पश्चात माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि गम्भीर से गम्भीर विषय को भी सदन में उठाने के लिए बिहार विधान सभा सचिवालय की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली में स्पष्ट प्रावधान है। सरकार विधिवत उठाये गये किसी भी जनहित के मुद्दे पर जवाब देने के लिए हर समय तैयार हैं। सदस्यों की सुरक्षा के लिए तैनात मार्शल से उलझना, सदन में कुर्सी उठाना, मेज पलटना यह संसदीय आचरण नहीं है। यह सरकारी सम्पति को नुकसान पहुँचाने का जो कानून है उसके तहत आपराधिक कृत्य है। सदन और सरकार को ऐसे कृत्य की निन्दा करनी चाहिए और आसन को भी इसपर उपयुक्त निर्णय लेना चाहिए।

आसन द्वारा कहा गया कि माननीय सदस्य जब सदन की सदस्यता की शपथ लेते हैं, तब उन्हें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली और संविधान की एक किताब दी जाती है। यह सदन नियम और प्रक्रिया से चलती है और जिनका भी आचरण इस सदन के प्रति गलत होगा उनपर नियमानुसार सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। कल सदन में जो घटना हुई है उसकी भी जाँच की जा रही है और जिन्होंने भी अमर्यादित आचरण किया है उनके उपर नियमानुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।

तदुपरान्त आसन से अनुमति प्राप्त कर माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन द्वारा एक प्रस्ताव पढ़ा गया जिसमें कल सदन में घटित घटना के प्रति निंदा व्यक्त की गई।

[2] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :–

1. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद–151(2) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019–20 एवं 31, मार्च, 2021 को समाप्त हुये वर्ष 2020–21, के "स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन" तथा 31, मार्च, 2022 को समाप्त हुये वर्ष 2021–22 के "राज्य के वित्त" प्रतिवेदन को महामहिम राज्यपाल, बिहार की अनुमति के आलोक में सभा मेज पर रखा गया।
2. माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी ने प्रस्ताव किया कि "भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त बिहार सरकार का 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष 2019–20 एवं 31, मार्च, 2021 को समाप्त हुये वर्ष 2020–21, के "स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन" तथा 31, मार्च, 2022 को समाप्त हुये वर्ष 2021–22 के "राज्य के वित्त" को बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात उक्त प्रतिवेदनों को लोक लेखा समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो।" यह प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।
3. माननीय प्रभारी मंत्री, ऊर्जा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत बिहार स्टेट पावर (होo) कंपनी लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2017–18 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
4. माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, श्रीमती लेशी सिंह द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा–395 के तहत बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2013–14 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
5. माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री चन्द्र शेखर द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा–44 के आलोक में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर का वर्ष 2021–22 के वार्षिक प्रतिवेदन की प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
6. माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति, श्री भाई वीरेन्द्र द्वारा सहकारिता विभाग की "बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना (तरकारी योजना)" से संबंधित प्राक्कलन समिति का 162वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।
7. माननीय सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड एवं बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट

कॉरपोरेशन लिमिटेड से संबंधित समिति का क्रमशः 213वाँ, 215वाँ, 219वाँ, 220वाँ एवं 221वाँ प्रतिवेदनो की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

8. माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री दामोदर रावत द्वारा राजकीय आश्वासन समिति का ऊर्जा विभाग से संबंधित 333वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

9. माननीय सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति, श्री अजीत शर्मा द्वारा सप्तदश बिहार विधान सभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति की जल संसाधन विभाग से संबंधित तृतीय प्रतिवेदन तथा शिक्षा विभाग से संबंधित विशेष प्रतिवेदन संख्या–3 की एक–एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया।

[3] कार्य स्थगन प्रस्ताव :–

माननीय सदस्य श्री विजय कुमार खेमका, श्री जनक सिंह एवं श्री अरूण शंकर प्रसाद द्वारा दिया गया कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा इसे अमान्य करने की घोषणा की गयी।

[4] शून्यकाल :–

माननीय सदस्य, श्री महबूब आलम के अनुरोध पर दिनांक 11.07.2023 एवं 12.07.2023 के शून्यकाल की सूचनाओं को सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया तथा आसन द्वारा उन्हें संबंधित विभाग को भेजने का निदेश दिया गया।

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया:–

(i) श्री मनोज मंजिल
(ii) श्री महबूब आलम
(iii) श्री महा नंद सिंह
(iv) श्री अजय कुमार
(v) श्री इजहारूल हुसैन
(vi) श्रीमती ज्योति देवी
(vii) श्री रामबली सिंह यादव
(viii) श्री अखतरूल ईमान
(ix) श्री संदीप सौरभ
(x) श्री सुर्यकान्त पासवान
(xi) श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता
(xii) श्री विनय कुमार
(xiii) श्री अमरजीत कुशवाहा
(xiv) श्री मो० अनजार नईमी
(xv) श्रीमती शालिनी मिश्रा
(xvi) श्री रणविजय साहू
(xvii) श्री मुकेश कुमार यादव
(xviii) श्री गोपाल रविदास
(xix) श्री सुदामा प्रसाद

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :–

(i) माननीय सदस्य, श्री शकील अहमद खाँ का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री चन्द्र शेखर द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

(ii) माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार एवं अन्य सभासदों का योजना एवं विकास विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री अजय कुमार द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसका उत्तर दिया गया।

आसन द्वारा माननीय प्रभारी मंत्री को माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये विषय पर अपने स्तर से विचार करने का निदेश दिया गया।

आसन द्वारा सदन में प्रश्नों के शत–प्रतिशत उत्तर प्राप्त होने पर सरकार को उनकी सजगता के लिए धन्यवाद दिया गया।

तत्पश्चात् सभा की बैठक भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05:25 बजे अपराह्न तक)

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

[6] वित्तीय कार्य :– वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग [नगर विकास एवं आवास विभाग] पर वाद–विवाद तथा मतदान

माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित अनुदान की मांग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

माननीय सदस्य, श्री अरूण शंकर प्रसाद के अनुपस्थित रहने के कारण अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

तत्पश्चात नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव पर वाद–विवाद प्रारम्भ हुआ जिसमें निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया:–

(i) श्री आनंद शंकर सिंह
(ii) श्री राज कुमार सिंह
(iii) श्री रामवृक्ष सदा
(iv) श्री महबूब आलम
(v) श्रीमती संगीता कुमारी
(vi) श्री अजय कुमार
(vii) श्री सुर्यकान्त पासवान
(viii) श्री अखतरूल ईमान
(ix) श्री राकेश कुमार रौशन
(x) श्री विनय कुमार चौधरी

[इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

(xi) श्री सत्यदेव राम
(xii) श्री बिजय सिंह
(xiii) श्री सतीश कुमार

[इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया]

तदुपरान्त सरकार की ओर से माननीय मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा वाद–विवाद का उत्तर दिया गया।

तत्पश्चात नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ।

इसके उपरान्त वित्तीय वर्ष 2023–24 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मिलित शेष अनुदान की मांगें बारी–बारी से मुखबंध (गिलोटीन) द्वारा स्वीकृत हुई।

[7] विधायी कार्य – राजकीय विधेयक :–

बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2023

माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2023 को सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया गया तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

विचार के प्रस्ताव पर स्वीकृति के उपरान्त खंडशः विचार के क्रम में सभी खंड एवं अनुसूची विधेयक के अंग बने।

माननीय मंत्री द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया तथा पक्ष रखा गया।

राजकीय वित्तीय विधेयक "बिहार विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 2023" सदन द्वारा स्वीकृत हुआ।

[8] निवेदन :–

आसन से घोषणा की गयी कि आज के लिए स्वीकृत कुल 109 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जाएगें।

तत्पश्चात् सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक–14 जुलाई, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई।

पटना
दिनांक–13.07.2023

पवन कुमार पाण्डेय
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।